

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

पूरणमल वनाम सायन 500

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

दावा

अ.नं. - 124/2024

17.06.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पत्रावली

आज पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान उपस्थित।

प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायहित में स्वीकार

किए जाने योग्य पाए जाने पर स्वीकार किया जाता है।

प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर

शामिल पत्रावली किया गया। इसी अनुसार पर्चा डिक्री

जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील

दाखिल दफ्तर हो।



(अनिल कुमार)

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर (सीकर)



न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी - श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
124 / 2024	2024 / 258	16.08.2024	17.06.2025

उनवान प्रकरण

1. पूरणसिंह शेखावत पुत्र स्व. मदनसिंह आयु 35 वर्ष
2. शंकरसिंह पुत्र स्व. होशियारसिंह आयु 30 वर्ष
3. भैरूसिंह पुत्र स्व. होशियारसिंह आयु 30 वर्ष

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

राजस्थान



-वादीगण-

बनाम्

1. सायर कंवर पत्नी स्व. नोपसिंह उर्फ अनोपसिंह आयु 90 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0
- निर्मला कंवर पुत्री स्व. नोपसिंह उर्फ अनोपसिंह पत्नी मालसिंह आयु 65 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर हाल मौहल्ला राजपूतो का चौसली तहसील डेगाना जिला नागौर राजस्थान

34

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

3. विमला कंवर पुत्री स्व. नोपसिंह उर्फ अनोपसिंह पत्नी नारायणसिंह आयु 63 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर हाल मौहल्ला राजपूतो का चौसली तहसील डेगाना जिला नागौर राज0
4. मिथलेशकंवर पुत्री स्व. नोपसिंह उर्फ अनोपसिंह पत्नी रघुनासिंह आयु 60 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर हाल आई.टी.आई. केन्द्र के पास गगराना जिला नागौरा राजस्थान
5. बाला कंवर पुत्री स्व. नोपसिंह उर्फ अनोपसिंह पत्नी राजेन्द्रसिंह आयु 48 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर हाल बडी पोल गगराना जिला नागौर राजस्थान
6. रूप कंवर पत्नी मदनसिंह आयु 70 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना हाल ससुराल जामला सबरनाथ (गुजरात)
7. नन्द कंवर पुत्री मदनसिंह पत्नी मानसिंह आयु 44 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना हाल ससुराल जामला सबरनाथ (गुजरात)
8. मुकेश कंवर पुत्री मदनसिंह पत्नी अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना हाल ससुराल बिटारा जिला जौधपुर राजस्थान
9. राजेश कंवर पुत्री स्व. मदनसिंह पत्नी दातारसिंह जाति राजपूत आयु 35 वर्ष निवासी ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना हाल ससुराल जवाहरनगर जयपुर राजस्थान
10. रूकमन कंवर पुत्री स्व. मदनसिंह पत्नी महावीरसिंह आयु 33 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना हाल ससुराल रूनाकिया चिरढाणी

जोधपुर



सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

11. मदनी कंवर पुत्री स्व. मदनसिंह पत्नी प्रतापसिंह आयु 31 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना हाल ससुराल थरसीन मेवा जिला पत्नी
12. कपोद कंवर पत्नी स्व. होशियारसिंह आयु 68 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना
13. पुनम कंवर पुत्री स्व. होशियारसिंह पत्नी महावीरसिंह राठी जाति राजपूत निवासी झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना हाल ससुराल न्यु पटेल नगर जाटी का खंडा भीलवाडा जयपुरा राजस्थान
14. कमलेश कंवर पुत्री होशियारसिंह पत्नी नरपतसिंह आयु 35 वर्ष जाति राजपूत निवासी झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना हाल ससुराल ग्रीथमपुरी तहसील नीमकाथाना
15. विनोद कंवर पुत्री होशियारसिंह पत्नी रघुवीरसिंह आयु 35 वर्ष जाति राजपूत निवासी झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना हाल ससुराल थरसीन मेवा जिला पत्नी
16. मरुधर कंवर पत्नी होशियारसिंह पत्नी भंवरसिंह आयु 37 वर्ष जाति राजपूत निवासी झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना हाल ससुराल बडी पोल मकराना नागौर राजस्थान
17. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित :-

श्री कानाराम पूनियां, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री अमर शर्मा, एड0 प्रतिवादी संख्या-1 ता 16 की ओर से अभिभाषक।



32
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या-17 की ओर से।



वाद पत्र बाबत उद्घोषणा दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड
(अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि. 1955)

--: निर्णय --:

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया है कि खाता संख्या 418 के भूमि खसरा नम्बर 1839, 1840 कुल किता 2 कुल रकबा 0.87 हैक्टर तन ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसका राजस्व रिकार्ड 1/2 हिस्से का अनोपसिंह पुत्र दीनसिंह के नाम दर्ज चला आ रहा है। जबकि वादीगण के दादा का सही एवं वास्तविक नाम नोपसिंह है। जबकि राजस्व रिकार्ड में अनोपसिंह गलत अंकित है। खाता संख्या-9 के भूमि खसरा नम्बर 4253, 4261, 4263 कुल किता-3 कुल रकबा 0.24 हैक्टर तन ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसका राजस्व रिकार्ड 1/4 हिस्से का अनोपसिंह पुत्र दीनसिंह के नाम दर्ज चला आ रहा है। जबकि वादीगण के दादा का सही एवं वास्तविक नाम नापसिंह है। जबकि राजस्व रिकार्ड में अनोपसिंह गलत अंकित है। खात संख्या-8 के भूमि खसरा नम्बर 4271, 4278 कुल किता-2 कुल रकबा 0.45 हैक्टर तन ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसकी संपूर्ण हिस्से की खातेदारी अनोपसिंह पुत्र दीनसिंह के नाम दर्ज चला आ रहा है। जबकि वादीगण के दादा का सही एवं वास्तविक नाम नोपसिंह है। जबकि राजस्व रिकार्ड में अनोपसिंह गलत अंकित है। खाता संख्या 362 के भूमि खसरा नम्बर 5133 रकबा 0.51 हैक्टर तन ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसका राजस्व रिकार्ड नोपसिंह पुत्र दीनसिंह के नाम सही दर्ज चला आ रहा है। खाता संख्या 52 के भूमि खसरा नम्बर 30 ता 32, 51, 52, 55, 56, 58, 59, 92, 98 कुल किता-11 कुल रकबा 3.37 हैक्टर तन ग्राम भुरानपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित हैं जिसकी 1/4 हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकार्ड नोपसिंह पुत्र दीनसिंह के नाम सही दर्ज चला आ रहा है। उक्त वर्णित भूमियां वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक भूमियां हैं वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के हैं। नोपसिंह के दो पुत्र संतान मदनसिंह, होशियारसिंह हुये जिनका स्वर्गवास हो चुका है मदनसिंह के वादी नम्बर 1 पुत्र संतान है एवं प्रतिवादी नम्बर 6 ता 11 कानूनी वारिसान है एवं होशियार सिंह के वादी नम्बर 2 व 3 दो पुत्र संतान एवं प्रतिवादीगण नम्बर 12 ता 16 पत्नी/पुत्री संतान है तथा उक्त मृतक मदनसिंह एवं होशियारसिंह की पत्नी एवं पुत्री संतान एवं मृतक नोपसिंह की पत्नी एवं पुत्री संतान ने वादीगण के हक में हकत्याग कर दिया है तथा नोपसिंह के नाम

34

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दर्ज खातेदारी की भूमि में वादी नम्बर 1 आधा हिस्सा 1/2 हिस्से पर एवं नोपसिंह के नाम शेष 1/2 हिस्से की भूमि वादीगण नम्बर 3 व 4 बराबर-बराबर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उक्तानुसार मृतक नोपसिंह के नाम दर्ज हिस्से की भूमि पर वादी नम्बर 1 आधी भूमि एवं शेष आधी भूमि पर वादीगण नम्बर 2 व 3 काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा वादीगण अपन नाम खातेदारी दर्ज करवाने का कानूनन विधिक हक अधिकारी है। प्रतिवादीगण की सेवा सुभुवा, भात, पेजा, शादी, विवाह, वादीगण ही करते चले आ रहे हैं एवं सभी पक्षकारान आपस में एक ही परिवार के हैं तथा समझौता के तहत वादग्रस्त भूमि वादीगण के हक अधिकार एवं हिस्से में आयी हुयी है। इस कारण इन्होंने काफी समय पूर्व से ही वादीगण के हक में मौखिक रूप से हकत्याग कर दिया था। न्यायहित में वादीगण खातेदार दर्ज किया जाना आवश्यक है। दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावे कि खाता संख्या 418 के भूमि खसरा नम्बर 1839, 1840 कुल किता-2 कुल रकबा 0.87 हैक्टर तन ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर में हिस्सा 1/2 में दर्ज अनोपसिंह पुत्र दीनसिंह के बजाय नोपसिंह पुत्र दीनसिंह सही एवं दुरुस्त किया जाकर उक्त 1/2 हिस्से में से 1/2 हिस्से का अर्थात् संपूर्ण भूमि में 1/4 हिस्से का वादी नम्बर 1 को एवं संपूर्ण हिस्से में से 1/8 हिस्से का वादी नम्बर 2 को व 1/8 हिस्से का वादी नम्बर 3 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त फरमाया जाकर मृतक का नाम हजफ फरमाया जावे। खाता संख्या-9 के भूमि खसरा नम्बर 4253, 4261, 4263 कुल किता-3 कुल रकबा 0.24 हैक्टर तन ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में हिस्सा 1/4 में दर्ज अनोपसिंह पुत्र दीनसिंह के बजाय नोपसिंह पुत्र दीनसिंह सही एवं दुरुस्त किया जाकर उक्त 1/4 हिस्से में से 1/2 हिस्से का अर्थात् संपूर्ण भूमि में 1/8 हिस्से का वादी नम्बर 1 को एवं संपूर्ण हिस्से में से 1/16 हिस्से का वादी नम्बर 2 को व 1/16 हिस्से का वादी नम्बर 3 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त फरमाया जाकर मृतक का नाम हजफ फरमाया जावे। खाता संख्या-8 के भूमि खसरा नम्बर 4271, 4278 कुल किता-2 कुल रकबा 0.45 हैक्टर तन ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर में संपूर्ण हिस्सा में दर्ज अनोपसिंह पुत्र दीनसिंह के बजाय नोपसिंह पुत्र दीनसिंह सही एवं दुरुस्त किया जाकर संपूर्ण हिस्से में से 1/2 हिस्से का वादी नम्बर 1 को एवं संपूर्ण हिस्से में से 1/4 हिस्से का वादी नम्बर 2 को व 1/4 हिस्से का वादी नम्बर 3 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त फरमाया जाकर मृतक का नाम हजफ फरमाया जावे। खाता संख्या 362 के भूमि खसरा नम्बर 5133 रकबा 0.51 हैक्टर तन ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर में संपूर्ण हिस्सा में दर्ज संपूर्ण हिस्से में से 1/2 हिस्से का वादी नम्बर 1 को एवं संपूर्ण हिस्से में से 1/4 हिस्से का वादी नम्बर 2 को व 1/4 हिस्से का वादी नम्बर 3 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। खाता संख्या 52 के भूमि खसरा नम्बर 30 ता 32, 51, 52, 55, 56, 58, 59, 92, 98 कुल किता-11 कुल रकबा 3.37 हैक्टर तन ग्राम भुरानपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर में संपूर्ण हिस्सा में दर्ज 1/4 हिस्से में से 1/2 हिस्से का अर्थात् संपूर्ण हिस्से में 1/8 वादी नम्बर 1 को एवं संपूर्ण हिस्से में से 1/16 हिस्से का वादी नम्बर 2 को व 1/16 हिस्से का वादी नम्बर 3 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे किन्वे वर्णित भूमि में खाता संख्या 418 के भूमि



32
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

खसरा नम्बर 1539, 1540 कुल किरा-2 कुल रकबा 0.87 हेक्टर व खाता संख्या 9 के भूमि
 खसरा नम्बर 4253, 4261, 4263 कुल किरा-3 कुल रकबा 0.24 हेक्टर व खाता संख्या 8 के
 भूमि खसरा नम्बर 4271, 4278 कुल किरा-2 कुल रकबा 0.45 हेक्टर व खाता संख्या 8 के
 के भूमि खसरा नम्बर 5133 रकबा 0.51 हेक्टर तन ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला
 सीकर राजस्थान व खाता संख्या 52 के भूमि खसरा नम्बर 30 ता 32, 51, 52, 55, 56, 58,
 59, 92, 98 कुल किरा-11 कुल रकबा 3.37 हेक्टर तन ग्राम भुरानपुरा पटवार हल्का बुर्जा
 की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर में वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काशत एवं उपयोग उपभोग में
 किसी प्रकार की मजहमत पैदा न स्वयं करे ना दीगर से करावे ना ही जोर जबरन बेदखल
 करे ना जबरन कब्जा करने की कार्यवाही करे ना ही किसी अन्य से ऐसा करवाये तथा
 उक्त भूमि का दीगर किसी को सिद्धी भी प्रकार से कोई अन्तरण विक्रय नहीं करे, ना ही
 विक्रय लेख तस्दीक करावे ना ही किसी बैंक या वित्तीय संस्था में गिरवी एवं बन्धक रखकर
 ऋण प्राप्त करे ना ही भूमि को खुर्द बुर्द करे ना ही कृषि भूमि को अकृषि में तब्दील करे ना
 ही राजस्व रिकार्ड परिवर्तन करवाये ना ही ऐसा कोई कृत्य करे या करावे जिससे वादीगण के
 विधिक हक हकूको पर विपरीत असर पड़ता हो। इसी अनुसार दुरुस्ती हेतु प्रतिवादी
 तहसीलदार को आदेश करवाये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया है।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया
 जाकर प्रतिवादीगण को जरिये साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया।
 प्रतिवादीगण की जरिये साधारण तरीके से करवाई गई। प्रतिवादीगण संख्या-1 ता 16 की
 ओर से श्री अमर शर्मा एडवो ने उपस्थित होकर राजीनामा किया व प्रतिवादी संख्या-17 की
 तामील असावतन होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी
 संख्या-17 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादपत्र में अंकित तथ्यों के
 सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई।
 जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 1291/भू.अ./2025 दिनांक 30.04.2025
 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पटवारी हल्का झाडली की
 रिपोर्ट के आधार पर अवगत कराया है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड के राजस्व ग्राम झाडली
 की जमाबंदी सवत् 2074-2077 के खाता संख्या-8, 9, 418 में अनोपसिंह पुत्र दीनसिंह जाति
 राजपूत दर्ज रिकार्ड है। राजस्व ग्राम झाडली की जमाबंदी सवत् 2074-2077 के खाता
 संख्या-362 में नोपसिंह पुत्र दीनसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत दर्ज राजस्व रिकार्ड है।
 राजस्व ग्राम भुरानपुरा पटवार मण्डल बुर्जा की ढाणी के खाता संख्या-52 में नोपसिंह पुत्र
 दीनसिंह हिस्सा 1/4 जाति राजपूत सा. झाडली दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। राजस्व ग्राम झाडली
 के नाम सं. 340 (विरासत) द्वारा दीनसिंह पुत्र हभीरसिंह जाति राजपूत की विरासत अनोप
 सिंह पुत्र दीनसिंह जाति राजपूत सा. देह के पक्ष में दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक दस्तावेज पेशान
 सवितरण कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र में वादी के दादाजी का नाम नोपसिंह दर्ज है।
 मुताबिक ग्राम पंचायत झाडली द्वारा जारी प्रमाण पत्र में एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में नोपसिंह पुत्र
 दीनसिंह दर्ज है। मृतक खातेदार नोपसिंह पुत्र दीनसिंह का अन्य नाम अनोपसिंह पुत्र दीनसिंह
 जाति राजपूत होने की जानकारी हेतु फर्द मौका पचा रिपोर्ट तैयार की गई है जो संलग्न है।



30
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
 श्रीमाधोपुर (सीकर)

वकील वादीगण ने वादपत्र में प्रतिवादीगण के द्वारा राजीनामा कर दिए जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील वादीगण की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 की दो जमाबंदीया, आधार कार्ड, वादीगण के दादाजी का पेंशन डायरी, तहसीलदार श्रीनाधोपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर भिजवाई गई अभिशंषा रिपोर्ट प्रस्तुत शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनोपसिंह व नोपसिंह एक ही व्यक्ति का होना प्रमाणित होता है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर दुरुस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

--:: क्रियात्मक आदेश ::--

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत उदघोषणा दुरुस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि खाता संख्या 418, 362 व 52 तन ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर में हिस्सा 1/2 में दर्ज अनोपसिंह व नोपसिंह के स्थान पर नोपसिंह उर्फ अनोपसिंह दुरुस्त किया जावे तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा वादी विरासत के नामांतरण की कार्यवाही तहसीलदार श्रीमाधोपुर के यहां करवाये व तहसीलदार श्रीनाधोपुर नोपसिंह उर्फ अनोपसिंह के वारिसान की वाद विधिवत जांच कर नामांतरण की कार्यवाही करें। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(Handwritten Signature)

(अनिल कुमार)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले

न्यायालय में सुनाया गया।

(Handwritten Signature)

(अनिल कुमार)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

